न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : वार सिंह, RAS.

पत्रावली संख्या : 38 / 16 (वाद)

1. श्री रमेशचन्द्र उर्फ रामेश्वरलाल पिता अर्जुनलाल ब्राहम्ण निवासी भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
2. श्री महेशचन्द्र पिता अर्जुनलाल ब्राहम्ण निवासी भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

..........वादीगण

बनाम

1. श्री भगवतीलाल पिता भैरूलाल ब्राहम्ण निवासी भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

............प्रतिवादी

उपस्थित : 1—श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता वादीगण
2—श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

निर्णय

दिनांक : 20.03.17

1. प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा मौजा भीण्डर पटवार मण्डल भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 3002 किता—1 रकबा 19 बिस्वा भूमि बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें आज तारीख पेशी वास्ते कायमी तनकीयात हेतु नियत है । हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा जिस वादग्रस्त आराजी संख्या 3002 रकबा 19 बिस्वा भूमि बाबत माननीय न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है वह वादग्रस्त आराजी संख्या 3002 रकबा 19 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में रमेशचन्द्र महेशचन्द्र पिता अर्जुनलाल, मु. कंचनदेवी बेवा अर्जुनलाल 53 / 168 हि.ब. भगवतीलाल पिता भैरूलाल 2 / 168 ब्राहम्ण, रमेशचन्द्र पिता विलासीराम महाजन 1 / 12, नाथूलाल पिता नारायण 2 / 7 ब्राहम्ण सा.देह स्थानीय निकाय नगरपालिका भीण्डर 51 / 168 (737.06 वर्गगज आवासीय) खातेदार के

अनुसार अंकित है । कहा कि वादीगण द्वारा सम्पूर्ण आराजी संख्या 3002 रकबा 19 बिस्वा भूमि बाबत माननीय न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की मांग की गई है जबकि आराजी नम्बर 3002 रकबा 19 बिस्वा भूमि का 51/168 हिस्सा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में स्थानीय निकाय नगरपालिका भीण्डर के नाम दर्ज हो चुका है । जिससे उपरोक्त आवासीय रूपान्तरित भूमि बाबत किसी भी प्रकार अनुतोष माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई का श्रवणाधिकार माननीय सिविल न्यायालय को ही है एवम आवासीय भूमियों से सम्बन्धित मामलों में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू नही होने से राजस्व न्यायालयों को ऐसी भूमि बाबत सुनवाई एवम अनुतोष प्रदान करने के क्षेत्राधिकार नहीं है । हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा सम्पूर्ण आराजी नम्बर 3002 रकबा 19 बिस्वा भूमि हेतु माननीय न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की मांग की गई है जो कि माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवम क्षेत्राधिकार में नहीं होने से तथा विधि द्वारा बाधित होने से प्रारम्भिक स्तर पर ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त योग्य है । जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाकर खारिज किया जाना आवश्यक है । अतः निवेदन है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाकर वाद वादी निरस्त कर खारिज फरमाया जावे ।

2. प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादीगण का जबाब इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 3002 रकबा 19 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में रमेशचन्द्र महेशचन्द्र पिता अर्जुनलाल, मु. कंचनदेवी बेवा अर्जुनलाल 53/168 हि.ब. भगवतीलाल पिता भैरूलाल 2/168 ब्राहम्ण, रमेशचन्द्र पिता विलासीराम महाजन 1/12, नाथूलाल पिता नारायण 2/7 ब्राहम्ण सा.देह खातेदार के नाम अंकित यह कथन स्वीकार है । शेष अंकन पूरी तरह से अवैध एवम शुन्य प्रभावी होकर विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल हुआ है तथा प्रतिवादी स्वयं भी अपने जबाब दावे में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि राजस्व अभिलेख में आराजी नम्बर 3002 में किसी स्थान पर शेष अंकन प्रभावी है । आराजी नम्बर 3002 रकबा 19 बिस्वा में राजस्व अभिलेख में 51/168 हिस्से का आवासीय प्रयोजनार्थ का अंकन पूरी तरह से अवैध एवम शुन्य प्रभावी रूप से होकर विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है तथा प्रतिवादी स्वयं भी अपने जबाब दावे में कहीं पर भी यह स्पष्ट नही कर पाया है कि

राजस्व अभिलेख में आराजी संख्या 3002 में आवासीय प्रयोजनार्थ का अंकन किस स्थान पर प्रभावी है । राजस्व नक्शे में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आवासीय प्रयोजनार्थ का अंकन किस भूमि से संबंधित है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पूरी तरह से विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रभावी है एवम माननीय राजस्व न्यायालय को ही इस वाद के श्रवणाधिकार एवम क्षेत्राधिकार पूरी तरह से प्राप्त है । किसी भी तरह से विधि द्वारा बाधित नहीं है । विधिक सिद्धान्तों के अनुसार आदेश 7 नियम 11 जा.दि. में वाद पत्रों के अभिकथनों को ही देखा जाता है एवम वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में ऐसा कोई भी अभिकथन नहीं किया हुआ है जिससे वाद विधि द्वारा वर्जित हो । प्रतिवादी द्वारा जो भी आपत्तियां एवम अतिरिक्त कथन जबाब दावे में एवम इस प्रार्थना पत्र में लिये गये है, उस पर आदेश 7 नियम 11 जा.दि. के प्रावधान लागू नहीं होते है । इस प्रकार की आपत्तियो एवम अतिरिक्त कथन पर विधिक तनकीयात कायम की जाकर उनका विधि अनुसार निस्तारण किया जाना ही विधिक सिद्धान्तों के अनुसार न्यायहित में आवश्यक है । अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूरी तरह से झूठे आधारों पर आधारित है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दिवानी के तहत किसी भी प्रकार से वर्जित नही होने से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे ।

3. विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस को समायत की गई । विदवान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया कि स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2068–71 में वादग्रस्त आराजी संख्या 3002 का 51/168 हिस्सा (737.06 वर्गगज–आवासीय) के रूप में दर्ज है किन्तु वादीगण ने जानबुझकर जमाबन्दी के इस अंकन को छिपाया है क्योंकि वादीगण को पता है कि आवासीय भूमियों बाबत सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है । स्वयं वादी ने आराजी संख्या 3002 रकबा 19 बिस्वा सम्पूर्ण पर स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना की है । वादीगण का यह कथन माने जाने योग्य नहीं है कि आवासीय बाबत ईन्द्राज विधि के प्रतिकूल हुआ है । यदि ऐसा कोई ईन्द्राज जिसे वादीगण विधि के प्रतिकूल मानते है तो प्रथम उस ईन्द्राज को सक्षम न्यायालय द्वारा दुरस्त कराया जाना आवश्यक है । वर्तमान स्थिति में तो स्वयं वादीगण द्वारा प्रस्तुत स्वीकृत जमाबन्दी में भूमि आवासीय होने बाबत ईन्द्राज है । एवम प्रतिवादी द्वारा इसी आवासीय भूमि में से रूपान्तरण अधिकारी द्वारा सन् 1983 में एवम नगरपालिका भीण्डर द्वारा सन्

2001 में प्रतिवादी के पक्ष में आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टे जारी किये है एवम प्रतिवादी आवासीय रूपान्तरित भूमि में ही निर्माण कार्य करवा रहा है जिसे रोकनें का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है । जिससे वादीगण का वाद विधि द्वारा बाधित होने से इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं है जिससे वादपत्र को इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी अपने जबाब दावे में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि आराजी संख्या 3002 में शेष अंकन किस स्थान पर प्रभावी है । आदेश 7 नियम 11 जा.दि. के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने हेतु मात्र वाद पत्र के अभिकथनों को ही देखा जाना चाहिये । जिससे प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है ।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने जबाब में बताया कि आदेश 7 नियम 11 जा.दि. के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये जाते समय वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को भी देखा जा सकता है । प्रतिवादी ने अपने जबाब दावे के विशेष कथन में सारी स्थिति को स्पष्ट कर रखा है । वादीगण ने अपने वाद की कलम संख्या–1 में मात्र वादीगण, प्रतिवादी तथा अन्य सहखातेदारान को दर्शाया है जबकि आराजी नम्बर 3002 में अन्य सहखातेदारान कौन है यह नही बताया है जबकि आदेश 7 नियम 1 जा.दि. के अन्तर्गत अभिवचनों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना आवश्यक है । किन्तु वादीगण को पता है कि आराजी संख्या 3002 का 51/168 हिस्सा आवासीय अंकित होकर नगरपालिका भीण्डर स्थानीय निकाय के नाम दर्ज है ।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवम विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन् किया । हम विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को आदेश 7 नियम 11 जा.दि. के प्रार्थना पत्रों को निर्णित करने हेतु देखा जा सकता है । इस प्रकरण में स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबदी सम्वत 2068–71 में आराजी संख्या 3002 का 51/168 हिस्सा स्थानीय निकाय नगरपालिका भीण्डर के नाम अंकित होकर आवासीय के रूप में दर्ज है । वादीगण ने सम्पूर्ण आराजी संख्या 3002 पर स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है । यदि यह न्यायालय सम्पूर्ण आराजी संख्या 3002 पर निषेधाज्ञा पारित करे तो आवासीय भूमि पर भी निषेधाज्ञा जारी होगी जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है । वादीगण का यह तर्क इस स्तर पर माने जाने योग्य नही है कि उक्त आवासीय का ईन्द्राज विधि के प्रतिकूल हुआ है । यदि ईन्द्राज विधि के प्रतिकूल है तो उक्त ईन्द्राज के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में वादीगण को सहायता प्राप्त करनी चाहिये । इस कारण हम यह पाते है कि यह न्यायालय आवासीय भूमियों बाबत

वाद की सुनवाई करने हेतु अधिकृत नहीं है एवम यह स्वीकृत स्थिति है कि आराजी संख्या 3002 का 51/168 हिस्सा आवासीय है । इस कारण यह वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवम श्रवणाधिकार का नही होने से वाद को इसी स्तर पर निरस्त किया जाना हम उचित समझते है ।

4. अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है ।

5. पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

6. निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया ।

(वार सिंह) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर